



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 480 राँची, मंगलवार, 1 श्रावण, 1946 (श०)
23 जुलाई, 2024 (ई०)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(नागर विमानन प्रभाग)

अधिसूचना
12 जुलाई, 2024

जापांक- II/ना.वि.सो-06/2023/ ना.वि.-409--

विषय- वर्ष 2012 में गठित एवं वर्तमान में अक्रियाशील नागर विमानन सोसाईटी को भंग करने के संबंध में ।

राज्य सरकार के तत्कालीन नागर विमानन विभाग के संकल्प संख्या-1061, दिनांक-11.09.2012 के माध्यम से वर्ष 2005 में गठित नागर विमानन प्राधिकार को भंग कर नागर विमानन सोसाईटी, झारखंड के रूप में गठन करने का निर्णय लिया गया।

- नागर विमानन सोसाईटी अनुबंधित होने के पश्चात् नागर विमानन प्राधिकार की परिसम्पत्ति, संचालन, अनुरक्षण, संधारण तथा प्राधिकार में कार्यरत कर्मियों सहित सभी दायित्व एवं उत्तरदायित्व बिना किसी शर्त के नागर विमानन सोसाईटी में समायोजित करते हुये स्थानांतरित किया जाना था। पंजीकरण के पश्चात् नागर विमानन सोसाईटी द्वारा नागर विमानन विभाग के अधीन विमानों के अनुरक्षण, संधारण एवं संचालन के कार्यों को सुचारू रूप से निष्पादित करना था। नागर विमानन सोसाईटी की नियमावली में अंकित था कि 1860 के अधिनियम XXI के अंतर्गत नागर विमानन और

- वैमानिक कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड नागर विमानन सोसाईटी का गठन किया जाता है।
3. परन्तु झारखंड विधान सभा सचिवालय के पत्रांक-232, दिनांक-01.02.2014 के माध्यम से लोक लेखा समिति की दिनांक-22.02.2014 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय से अवगत कराया गया कि समिति यह अनुशंसा करती है कि सोसाईटी का गठन नहीं किया जाय, बल्कि यह कार्य विभागीय स्तर पर कराया जाय या कॉर्पोरेशन बनाकर कार्य संपादित कराया जाय। इस पत्र प्राप्त होने के उपरान्त नागर विमानन सोसाईटी का न तो निबंधन कराया गया और न ही इसके संबंध में कोई अग्रतर कार्रवाई की गई। इस प्रकार यह क्रियाशील नहीं हो सका।
 4. कालान्तर में तत्कालीन विभागीय सचिव से प्राप्त निदेश के आलोक में नियमानुसार सभी कार्रवाईयाँ पूर्ण करते हुये राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरान्त विभागीय जापांक-785, दिनांक-02.11.2022 के माध्यम से मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के नागर विमानन प्रभाग के अंतर्गत Commercial Pilots License (CPL), ग्लाइडिंग, एयरोमॉडलिंग आदि विमानन संबंधी प्रशिक्षण के संचालन हेतु झारखंड उड़्डयन संस्थान (Jharkhand Flying Institute) नामक समिति के गठन तथा इसके Memorandum of Association से संबंधित संकल्प निर्गत है। Jharkhand flying Institute नामक इस समिति का निबंधन भी सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट - XXI, 1860 के अंतर्गत किया जा चुका है एवं वर्तमान में यह क्रियाशील हैं।
 5. परन्तु नवगठित Jharkhand flying Institute नामक इस समिति से संबंधित संकल्प में पूर्व निर्णित नागर विमानन सोसाईटी के गठन या इसके विघटन का उल्लेख नहीं है।
 6. उक्त के संदर्भ में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त हुआ कि, “एक विषय पर दो नियमावली का एक साथ रहना विधि संगत प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में पूर्व के **Memorandum of Association of the Jharkhand Civil Aviation Society, Ranchi** एवं झारखंड नागर विमानन सोसाईटी नियमावली (पुराने) को निरसित (Repeal) करने की अधिसूचना जारी करना युक्तियुक्त एवं विधि संगत होगा।”
 7. अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-1061, दिनांक-11.09.2012 द्वारा गठित नागर विमानन सोसाईटी, झारखंड तथा इसके MoA को निरसित (Repeal) करने का निर्णय लिया जाता है।
 8. उपर्युक्त प्रस्ताव से संबंधित विभागीय संलेख जापांक-364, दिनांक-18.06.2024 पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक-28.06.2024 को संपन्न बैठक के मद संख्या-06 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

वन्दना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।
